दिनांक 15.10.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

# आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक दुकान का संचालन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फर्नीचर दुकान को निगम ने किया सील

भिलाईनगर/ निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्तों को दिए हैं! निगम अंतर्गत आवासीय परिसर क्षेत्र में व्यवसायिक दुकान का संचालन करते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले फर्नीचर दुकान को निगम की टीम ने सील बंद कर दिया। काफी समय से इसकी शिकायतें निगम को मिलती रही है! कैलाशगर क्षेत्र के फर्नीचर दुकान में लकड़ी से विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किया जा रहा था , कार्य के दौरान मशीनों से तेज आवाज आने से आस-पास के मोहल्ले वासी परेशान थे! नागरिकों द्वारा शिकायत करने पर सीलबंदी की कार्यवाही जोन आयुक्त पूजा पिल्ले की उपस्थिति में किया गया। वैशालीनगर जोन 02 के सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि वार्ड 16 कैलाशनगर के एक दुकान में सील बंद करने की कार्यवाही शिकायत के आधार पर की गई है। वार्ड 16 में एम.जे. फर्नीचर दुकान में लकड़ी से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने के दौरान तेज आवाज वाली कई मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था! आस पास के नागरिकों ने ध्वनि प्रदूषण तथा लकड़ियों से अत्यधिक गंध आने की शिकायत किए थे! आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक उपयोग करने के आधार पर आज निगम के राजस्व विभाग की टीम ने सील बंदी की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान सब इंजीनियर शंकर सुमन मरकाम , जोन के स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे।